



बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in सीओ.डीपीएसएस.एयूटीएच.सं.एस.५५०%/02.27.004/2024-25 CO.DPSS.AUTH.No.S५०%/02.27.004/2024-25

22 जुलाई 2024 July 22, 2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 6/बी, वैष्णवी समिट, पहली मंजिल, 7वीं मुख्य, 80 फीट रोड, कोरमंगला तीसरा ब्लॉक, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560034

The Chief Executive Officer, Cashfree Payments India Private Limited, No.6/B, Vaishnavi Summit, 1st Floor, 7th Main, 80 ft road, Koramangala 3rd block, Bengaluru, Karnataka-560034

महोदया / महोदय,

निर्यात और आयात भुगतान एग्रीगेटर क्रॉस-बॉर्डर (पीए-सीबी-ई & आई) के रूप में कार्य करने की मंजूरी - कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री)

कृपया उपरोक्त विषय पर अपना दिनांक 29 अप्रैल, 2024 का आवेदन और संबंधित पत्राचार देखें।

- 2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपने पास प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री) को निर्यात और आयात भुगतान एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी-ई & आई) के रूप में कार्य करने की मंजूरी प्रदान करता है।
- 3. आपको सूचना दी जाती है कि सीमा पार भुगतान से संबंधित गतिविधियां करते समय आप विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों और फेमा, 1999 के तहत जारी अन्य विनियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करें।
- 4. आरबीआई ने अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के लिए घटना रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया है। आपको सूचना दी जाती है कि आप हर असामान्य घटना की रिपोर्ट करें, जिसमें साइबर हमले, महत्वपूर्ण प्रणालियों/बुनियादी ढांचे

Madam/Sir,

Approval to operate as an Export and Import Payment Aggregator Cross- Border (PA-CB- E&I) – Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree)

Please refer to your application dated April 29, 2024 and related correspondence, on the captioned subject.

- 2. The Reserve Bank of India (RBI), in exercise of the powers conferred on it, grants approval to Cashfree Payments India Private Limited to operate as an Export and Import Payment Aggregator -Cross Border (PA-CB- E&I).
- 3. You are advised to adhere to the provisions of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 and other regulations/guidelines /directives issued under FEMA, 1999, while undertaking cross-border payments related activities.
- 4. RBI has put in place an Incident Reporting Mechanism for Authorised Payment System Providers. You are advised to report every unusual incident, including those involving cyber-attacks, outage of critical systems /

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई – 400 001 फोन: (91-22) 2264 4995, फैक्स Fax: (91-22) 2265 9566, 2269 1557, ई-मेल: cgmdpssco@rbi.org.in



का बंद होना, आंतरिक धोखाधड़ी, निपटान में देरी आदि शामिल हैं। रिपोर्ट की जाने वाली/रिपोर्ट न की जाने वाली घटनाओं की एक सांकेतिक सूची अनुलग्नक। में दी गई है। रिपोर्ट घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर संलग्न घटना रिपोर्टिंग प्रारूप (एक्सेल शीट - अनुलग्नक॥) में ई-मेल के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, आरबीआई को dpssosd2@rbi.org.in पर प्रस्तुत की जाए। निर्धारित समय के भीतर घटनाओं का विवरण रिपोर्ट न करने पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में निहित प्रावधानों के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5. यह भुगतान प्रणाली भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम), उसके तहत जारी किए गए विनियमों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में संचालित की जाए।

6. इस अनुमोदन पत्र में बताई गई किसी भी शर्त का अनुपालन न करने की स्थिति में, आरबीआई पीएसएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित समझे जाने वाली कार्रवाई कर सकता है, जिसमें भुगतान प्रणाली संचालन पर प्रतिबंध लगाना और/या इस अनुमोदन को रद्द करना शामिल है।

7. कृपया पावती दें।

infrastructure, internal fraud, settlement delays, etc. An indicative list of incidents to be reported / not reported is provided in Annexure I. The report shall be submitted to the Department of Payment and Settlement Systems, Central Office, RBI through e-mail at dpssosd2@rbi.org.in in the enclosed Incident Reporting Format (excel sheet – Annexure II) within 24 hours of occurrence of the incident. Failure to report details of incidents within the stipulated time shall attract penal action under provisions contained in the Payment and Settlement Systems Act, 2007.

- 5. This payment system shall be operated in adherence to the provisions of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act), regulations issued thereunder, and the directions / guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- 6. In case of non-compliance with any of the conditions as sated in this approval letter, RBI may undertake action as deemed fit under the provisions of PSS Act, including imposition of restrictions on payment system operations and / or revocation of this approval.

7. Kindly acknowledge receipt.

(गुणवीर सिंह) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न- यथोक्त